



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:- <https://rera.cgstate.gov.in/>

क्रमांक-04/रेरा/2018/364

रायपुर, दिनांक 27/07/2018

// आदेश //

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-2 की धारा 3(1) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, एतद् द्वारा –

“छत्तीसगढ़ में प्लानिंग-एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी स्थित समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और ऐसे समस्त प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स को निर्देशित किया जाता है, कि वे अधिनियम की धारा 3(1) के तहत वे इन सभी प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करें।

इस आदेश की जारी होने की तिथि से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के ऑनगोईंग तथा नए प्रोजेक्ट्स पर अधिनियम के समस्त प्रावधान लागू होंगे।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)


(अजय कुमार अग्रवाल)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.